न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दमाराम पुत्र देवाराम जाति घांची निवासी आदेश्वर मंदिर के पास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली		1 कानाराम पुत्र भोलाराम जाति घाँची निवासी आदेश्वर मंदिर के पास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 2 तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 8/2023

उपस्थिति:–

01. श्री भवानसिंह जैतावात अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री महेन्द्र चोधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 21/08/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के ख.नं. 357 रकबा 2.10 है0 किस्म बा0अ0, ख.नं. 358 रकबा 2.18 है0 किस्म बा0अ0, ख नं. 602 रकबा 1.55 है0 किस्म मेहन्दी कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.83 है0 आयी हुई स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/2 व अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हक हिस्सा हैं। उक्त खसरान की भूमि का बंटवाडा आपसी सहमति से दिनांक 28.11.1996 को लिखित किया गया था। जिसमें साढे तैरह बिघा प्रार्थी के हिस्से की आयी थी व अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में सवा तैरह बिघा रही। उसी अनुसार आपसी सहमति से हुये बंटवाडा में 2.16 है0 भूमि मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में हैं। क्योंकि ख.नं. 357 की भूमि कम उपजाउ, बंजड़ व उबड़–खाबड़ व कृषि उपयोगी नहीं होने से चार एयर कृषि भूमि अधिक दी गई थी। जो आज भी मौके पर किये गए बंटवाडा अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त हैं। मौके पर काबिज अनुसार ही पूर्व में बंटवाडा किया गया हैं। जिसके अनुसार ही बंटवाडा किया जावें। इसी प्रकार सोजत चक प्रथम के ख.नं. 1134 रकबा 0.44 है0, ख.नं. 1136 रकबा 0.39 है0 जो राजस्व रेकर्ड के हिसाब से प्रार्थी व अप्रार्थी का 1/2–1/2 हिस्सा बनना पाया जाता है। लेकिन मौके पर दोनो खसरे आपस में बांट दिये गये हैं। जिसमें ख.नं. 1124 प्रार्थी के हिस्स में तथा ख.नं. 1136 अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में हैं। करीब 12–13 वर्ष पहले ट्यबवेल करवाया था, जिससे आज भी सिचाई का काम करता हैं। मौके पर कृषि भूमि बंटी हुई होने के बावजूद भी अप्रार्थी विवाद करता रहता है एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के हक हिस्से में दखल अंदाजी करता हैं। राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्से का प्रार्थी खातेदार है तथा 1996 मे हुये बंटवाडा अनुसार आज भी काबिज हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता हैं। अप्रार्थी सामलाती कृषि भूमि का बेचान करने पर उतारू हैं। यदि वह ऐसा करने में सफल होते हैं। तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी निवेदन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से में दखल अदाजी नहीं करने एवं बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा बताये गये मौखिक बटवाडा का कथन गलत है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य बराबर हिस्से अनुसार बटवाडा कर मौके पर अलग-अलग काब्जिज हुये थे। जिसका नजरी नक्शा जवाब दावा के साथ पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से मे खसरा नंबर 357, 358 के हिस्से आना बताया हैं तथा ख.नं. 358 मे 2-12 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी स0 1 के हिस्से में आना बताया है जो बिल्कुल गलत एवं झूठा हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य प्रत्येक हिस्से मे 1/2-1/2 अनुसार बंटवाडा किया हुआ हैं। चार एयर भूमि का कथन भी गलत व मनगढत है। ख.नं. 1134 व 1136 में भी प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो का 1/2-1/2 हिस्सा आता है। प्रार्थी की नियत बद्ध होने से ख.नं. 1134 रास्ते की भूमि हडप करना चाहता हैं। अप्रार्थी अपने कब्जे काश्त की भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर रहा हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में है सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं एवं सुविधा का सतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि पक्षकारों के मध्य वर्ष 1996 में मौखिक बंट हो चुका हैं । जिसके अनुसार आज भी काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी सं0 1 की नियत बद्ध होने से वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने पर उतारू हैं। जिन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक रोका जावें। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा बिल्कुल मनगढ़त तथ्यों के साथ वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी रास्ते की भूमि को हडप करना चाहता हैं। अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार एवं वादग्रस्थ भूमि में सहखातेदार हैं। जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया। वस्तुतः वादग्रस्थ कृषि भूमि में पक्षकारो के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों व गवाहो के बयान कलमबद्ध करके गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में वाद निर्णय तक यदि मौके व रेकर्ड की स्थिति में बदलाव होता हैं। तो निश्चित ही वाद बहुलियता बढेगी। लिहाजा वाद निर्णय तक वादस्थ भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं विशिष्ठ भू-भाग का बेचान नहीं करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-: आदेश :-

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के ख.नं. 357,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

358 व 602 कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.83 है0 तथा ख0नं0 1134 1136 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.83 है0 की कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने, प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में दखल अदाजी नही करने तथा विशिष्ट भू-भाग का बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनाक 21/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली